संख्या-46/2015/2076 सी0डी0/46-3-15-3(48)/98-99

प्रेषक

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 27 अगस्त, 2015

विषय- पेराई सत्र 2014-15 के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना के "राज्य परामर्शित मूल्य (SAP)" के सापेक्ष देय गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने के उद्देश्य से कृषक हित में, राज्य सरकार द्वारा रुपये 28.60 प्रति कुन्टल की दर से दी जा रही अतिरिक्त वित्तीय सहायता का भुगतान कृषकों को तत्काल कराने हेतु प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2074सी.डी/46-3-15-3(48)/98-99, दिनांक 26.08.2014 तथा उक्त के संबंध में प्रेषित अपने पत्र संख्या-1234/गन्ना मूल्य/2014-15/, दिनांक 26.08.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या-2074सी.डी/46-3-15-3(48)/98- 99, दिनांक 26.08.2015 के माध्यम से संसूचित शासन द्वारा लिए गये निर्णय के अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा कृषक हित में, पेराई सत्र 2014-15 के लिए निर्धारित किये गये "राज्य परामर्शित मूल्य (SAP)" के सापेक्ष देय गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से सभी चीनी मिलों को राज्य सरकार की ओर से क्रमशः रूपये 8.60 प्रति कुन्टल एवं रूपये 20 प्रति कुन्टल अर्थात कुल रूपये 28.60 प्रति कुन्टल की दर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की धनराशि दिये जाने एवं उक्त वित्तीय सहायता की धनराशि गन्ना कृषकों को तत्काल प्राप्त हो जाय, के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की जानी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा कृषक हित में, पेराई सत्र 2014-15 के लिए निर्धारित किये गये "राज्य परामर्शित मूल्य (SAP)" के सापेक्ष देय गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से सभी चीनी मिलों को राज्य सरकार की ओर से क्रमशः रूपये 8.60 प्रति कुन्टल एवं रूपये 20 प्रति कुन्टल अर्थात कुल रूपये 28.60 प्रति कुन्टल की दर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की धनराशि दिये जाने एवं उक्त वित्तीय सहायता की धनराशि गन्ना कृषकों को तत्काल प्राप्त हो जाय, के दृष्टिगत शासन द्वारा निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, जिसके अनुसार कार्यवाही की जायेगीः-

(1) प्रत्येक चीनी मिल का एक बैंक खाता अतिरिक्त सहायता के भुगतान हेतु चिन्हित (**Earmarked**) किया जायेगा, जिस पर जिला गन्ना अधिकारी का नियंत्रण होगा। इस खाते का संचालन अध्यासी अथवा चीनी मिल के स्थानीय स्तर पर वित्तीय लेन-देन के लिए उपलब्ध अन्य सक्षम अधिकारी एवं जिला गन्ना अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। यह व्यवस्था शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता को गन्ना किसानों में तत्काल वितरण कराने हेतु लागू की जा रही है।

(2) शासन द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त सहायता के मद में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी एवं मांग के अनुसार गन्ना आयुक्त के स्तर से संबंधित जिला गन्ना अधिकारी के नियंत्रणाधीन उपर्युक्त **Earmarked** खाते में ही अन्तरित किया जायेगा।

(3) चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2014-15 में की गयी गन्ना खरीद एवं उसके सापेक्ष रु0 28.60 प्रति कुन्टल से अनुमन्य अतिरिक्त सहायता की कुल धनराशि सहित अपना अनुरोध पत्र गन्ना आयुक्त,उ0प्र0 को प्रेषित किया जायेगा, जो संबंधित जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त के माध्यम से, उनकी संस्तुति सहित, गन्ना आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) अतिरिक्त सहायता की धनराशि का भुगतान प्राप्त होते ही चीनी मिल द्वारा इस धनराशि की कृषकवार समानुपातिक एडवाइस तैयार कर संबंधित समिति को प्रेषित की जायेगी। जहाँ पर गन्ना समितियाँ स्वयं एडवाइस तैयार कर रही हों, वहाँ यह कार्यवाही संबंधित समिति द्वारा स्वयं सम्पादित की जायेगी। उपरोक्तानुसार तैयार की गयी एडवाइस चीनी मिल/समिति के माध्यम से जिला गन्ना अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) जिला गन्ना अधिकारी द्वारा संबंधित चीनी मिल/समितियों से प्राप्त एडवाइस का परीक्षण एवं शासन द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त सहायता की धनराशि का मिलान करते हुए इसके तत्काल भुगतान हेतु कृषकवार एडवाइस सहित संबंधित बैंक को अपना संस्तुति पत्र प्रेषित किया जायेगा। तद्नुसार बैंक द्वारा किसानों को देय गन्ना मूल्य की धनराशि उनके खातों में अंतरित कर दी जायेगी।

(6) जिन चीनी मिलों का अवशेष गन्ना मूल्य शासन द्वारा स्वीकृत की गयी अतिरिक्त सहायता की कुल धनराशि से कम रह गया है, उन चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य की अवशेष धनराशि की सीमा तक एडवाइस द्वारा किसानों को तत्काल भुगतान किया जायेगा तथा अतिरिक्त सहायता के रुप में प्राप्त हुई धनराशि में से गन्ना मूल्य के भुगतान के उपरान्त अवशेष बची धनराशि चीनी मिल को प्रतिपूर्ति के रुप में देय होगी।

(7) जिला गन्ना अधिकारी, संबंधित जनपद की सभी चीनी मिलों के Earmarked खाते खुलवाने, संयुक्त संचालन कराने, खाते की सूचना गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करने एवं इस खाते में अन्तरित वित्तीय सहायता की धनराशि का शत-प्रतिशत् उपयोग आपूर्तिकर्ता किसानों को समानुपातिक भुगतान में किये जाने हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

कृपया इस संबंध में अपने स्तर से भी समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने तथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-46/2015/2076(1) सी0डी0/46-3-15-3(48)/98-99.-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त उप/संयुक्त/अपर गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिला गन्ना अधिकारी।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in